प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या :–एसपीएमयू/जे0एस0एस0के0/93/2012–13/2501-2 दि0 21.12.2012

विषयः "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" हेतु जनपदों को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्व में भेजे गये पत्रसंख्याः–एसपीएमयू/जे0एस0एस0के0/93/2012–13/605–2 दि0 28.06.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत हैं कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की प्रत्येक जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी को निम्न सुविधाएं प्रदान की जानी है–

- प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोपरान्त समस्त जाँचें व समस्त औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित कराई जानी है।
- सामान्य प्रसव के दौरान स्वास्थ्य इकाई पर 3 दिन तक तथा सीजेरियन के केस में 7 दिन तक रुकने पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था जानी है।
- अति रक्ताल्पता वाली गर्भवती महिलाओं को ब्लड–ट्रान्स्फ्यूजन किये जाने पर प्रयुक्त होने वाले कन्ज्यूमेबिल्स एवं जांचों का भी कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, यद्यपि रक्तदान का कार्य परिवार के सदस्यों को ही करना होगा।
- प्रसवोपरान्त माँ तथा नवजात शिशु को सकुशल घर तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं घर पर रुग्ण होने पर एक माह तक के नवजात को स्वास्थ्य इकाई तक पहुंचाने एवं स्वास्थ्य इकाई पर निःशुल्क उपचार की व्यवस्था भी उपलब्ध करायी जायेगी।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में विभिन्न मदों में अनुमोदित दरों के अनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के समुचित संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में एस0पी0एम0यू0 के पत्र संख्या–एसपीएमयू/जे0एस0एस0के0/93/2012–13/605–2 दिनांक 26.06.2012 द्वारा दिशा–निर्देश एवं पत्र संख्या– एसपीएमयू/जे0एस0एस0के0/93टी0सी0–4/2012–13/895 दिनांक 27.07.2012 द्वारा प्रथम त्रैमास की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में प्राविधानित समस्त अवशेष धनराशि जनपदों को प्रेषित की जा रही है जिसका उपयोग निम्न दिशा–निर्देशानुसार किया जाना है :–

1. <u>निःशुल्क ड्रॉप बैक सुविधाः–</u>

- यह सुनिश्चित किया जाना है कि वर्ष 2012–13 में जनपद की समस्त L-3 प्रसव इकाइयों, ब्लॉक स्तरीय L-2 इकाइयों एवं यदि जनपद में स्टेट/सेन्ट्रल मेडिकल कॉलेज हो तो इसके स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में होने वाले प्रसवों हेतु ड्रॉप–बैक वाहन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाये।
- प्रदेश में चल रही उत्तर प्रदेश एम्बुलेन्स सर्विसेज़ की 972 गाड़ियों से ड्रॉप–बैक की सुविधा ली जाये जिसके सम्बन्ध में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन लखनऊ के पत्र संख्या–12फ 2153–54 दिनांक 28.08.2012 एवं महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या–मा0शि0क0/जे0एस0एस0के0/दि0निर्दे0/2012/3241–4 दिनांक–02.11.2012 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रेषित भी किये जा चुके है।
- उत्तर प्रदेश एम्बुलेन्स सर्विसेज़ की गाड़ियों की 01 प्रति ब्लॉक तथा 02 जिला स्तर पर तैनाती की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्रांक –एसपीएमयू/जे0एस0एस0के0/93टी.सी.03/2012–13/149–2 दि0 03.05.2012द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिन वाहनों द्वारा माह अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 के मध्य ड्रॉप बैक की सुविधा प्रदान की गयी है उनका भुगतान तत्कालीन अनुबन्ध के आधार पर इस मद में उपलब्ध करायी जा रही धनराशि से नियमानुसार किया जा सकता है।
- वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा इस गतिविधि हेतु ₹ 250.00 प्रति गर्भवती महिला की दर से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में सभी जनपदों को **वर्ष 2012–13 के लिये अनुमोदित समस्त अवशेष धनराशि अवमुक्त** की जा रही है। इस धनराशि से जनपद की समस्त जनपद व ब्लॉक स्तरीय L-3 व L-2 पर गर्भवती महिलाओं/प्रसूताओं को ड्रॉप–बैक की सुविधा उपलब्ध करवाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।

2. नि:शुल्क भोजन व्यवस्थाः–

- वर्ष 2012–13 में भी पूर्व के अनुसार ही ऐसे जिला महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय, जहाँ भोजन व्यवस्था हेतु राज्य बजट से व्यवस्था है, वहाँ के लिये कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि की व्यवस्था नहीं की जानी है।
- शेष उन सभी प्रसव इकाइयों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा कतिपय जनपदों में प्रसूति गृह आदि) पर यह व्यवस्था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत की जानी है। जहां बड़ी संख्या में प्रसव हो रहे हैं वहाँ प्रसवोपरान्त महिलाओं को कम से कम 48–72 घंटे तक स्वास्थ्य इकाई पर रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की जाय। इसी कारण वर्ष 2012–13 में जनपद की चिन्हित L-2 एवं L-3 प्रसव इकाइयों में ₹ 100 प्रतिदिन की दर से सामान्य प्रसवों हेतु 3 दिनों तथा सीजेरियन प्रसव हेतु 7 दिनों के लिए नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था के लिए धनराशि अवमुक्त की गई है। इस धनराशि का आंगणन सम्भावित प्रसवों के आधार पर किया गया है जो लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जाये।
- जनपद की अधिक से अधिक खण्ड स्तरीय L-2 एवं L-3 प्रसव इकाइयों के लिए खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा सेवा प्रदाता का चयन किया जाये। इस प्रक्रिया का निर्धारण जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देशानुसार करते हुए सेवा प्रदाता के चयन की समस्त प्रक्रिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जाये एवं कृत कार्यवाही की सूचना जिला स्वास्थ्य समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर दी जाय।
- पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिन चिकित्सा इकाइयों हेतु भोजन की व्यवस्था हेतु टेण्डर प्रक्रिया हो चुकी है एवं अनुबन्ध के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति हो रही हैं उनकी गुणवत्ता का आंकलन कर उनसे सेवाएं ली जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अवषेष चिकित्सा इकाइयों हेतु विकास खण्ड अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर अच्छे व क्रियाशील स्वयं सहायता समूहों की सूची प्राप्त कर, उनके चयन एवं कार्य सम्बन्धी दिशा–निर्देश जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से निर्गत किये जाने हेतु महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या–मा0शि0क0/जे0एस0एस0के0/दि0निर्दे0/2012/3241–4 दिनांक–02.11.2012 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रेषित भी किये जा चुके हैं।
- यदि किसी इकाई पर ताजे भोजन की व्यवस्था न की जा सके, तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से गर्भवती महिला/प्रसूता को आधे लीटर दूध की दो थैली (लगभग रु0 40.00), दो फल तथा दो अण्डे (लगभग रु0 20.00) अथवा यदि कोई महिला अण्डे न खाती हो तो इस मूल्य के 4–5 फल तथा दोनों समय अच्छी ब्राण्ड की आई0एस0ओ0 प्रमाणित डबलरोटी तथा 20 ग्राम अमूल/पराग का मक्खन उपलब्ध कराया जाय।
  पूर्व में प्रेषित किये गये विस्तृत दिशा–निर्देशों का संज्ञान लेते हुए चयन, अनुमोदन, अनुबन्ध, रिपोर्टिंग, सत्यापन तथा भुगतान आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय तथा उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का ही होगा।

- वर्तमान में सभी जनपदों को **वर्ष 2012–13 के लिये अनुमोदित समस्त अवशेष धनराशि अवमुक्त** की जा रही है।

  इस धनराशि से गर्भवती महिलाओं/प्रसूताओं को चिकित्सालय में रूकने की सम्पूर्ण अवधि के दौरान निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का है।

3. निःशुल्क औषधि एंव कंज्यूमेबिल्स की व्यवस्थाः–

- जैसा कि पूर्व में भी सूचित किया गया है, समस्त गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व निःशुल्क जांच तथा आवश्यक औषधियों (आयरन फोलिक एसिड तथा डी–वर्मिंग) की उपलब्धता सभी स्वास्थ्य इकाइयों, उपकेन्द्रों तथा आउटरीच सत्रों में सुनिश्चित की जानी है। राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में कराये जाने वाले समस्त प्रसवों (सामान्य अथवा सीजेरियन) हेतु औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स की निःशुल्क व्यवस्था कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जायेगी। सामान्य प्रसव, सीजेरियन प्रसव तथा रुग्ण नवजात के उपचार हेतु औषधियों एंव कंज्यूमेबिल्स की अंतिम **(EDL Essantial Drug List)** सूची पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। यह सूची एनआरएचएम की वेब साइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भी इस आशय से प्रेषित कर दी गई हैं कि वे इनके रेट कॉन्ट्रेक्ट की दरें आपको यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें। इन सूचिओं में गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान तथा प्रसव के उपरान्त दी जाने वाली औषधियाँ सम्मिलित हैं।
- वर्तमान में सभी जनपदों को **वर्ष 2012–13 के लिये अनुमोदित समस्त धनराशि अवमुक्त** की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जनपद की समस्त प्रसव इकाइयों एवं उपकेन्द्रों तथा आउटरीच सत्रों पर कार्यभार के आधार पर आवश्यक औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स का आंकलन व मांग–पत्र इकाइयों के प्रभारियों से प्राप्त कर लें एवं रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर **आगामी एक वर्ष के लिये क्रय** करने की कार्यवाही कर लें।

4. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अन्तर्गत निःशुल्क जांच एवं कन्ज्यूमेबिल्स की सुविधाः–

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से निर्गत पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/जे0एस0एस0के0/93/2011–12/2652–3 दिनांक 07.12.2011 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या–1019/पांच–1–2011 दिनांक 19.04.2011 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थी महिलाओं को रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान की गई है। उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश पूर्व में शासन द्वारा सीधे आपको माह अप्रैल, 2011 में भेजा गया था तथा पुनः इसकी छायाप्रति आपको पत्र दि0 07.12.2011 के साथ संलग्न कर प्रेषित की गई थी। अतः इस प्रकार शासन के स्तर से जननी सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों को ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की स्थिति में कन्ज्यूमेबिल्स तथा जांचों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि रक्तदान का कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जायेगा। आकस्मिकता की स्थिति में रक्त की निःशुल्क व्यवस्था रक्तकोष से किये जाने हेतु जनपद में नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किये जायें तथा रक्तकोष में पर्याप्त रक्त की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाय।

5. निःशुल्क जांचें तथा अल्ट्रासाउण्ड सुविधाः–

- इस सम्बन्ध में शासन स्तर से लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त गर्भवती महिलाओं को रक्त एवं मूत्र की निःशुल्क जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं से किसी भी प्रकार का उपभोक्ता शुल्क भी नहीं लिया जाना है। महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या–मा0शि0क0/जे0एस0एस0के0/दि0निर्दे0/2012/3241–4 दिनांक–02.11.2012 द्वारा इस सेवाओं हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

- निःशुल्क जाँचें– प्रत्येक स्तर की इकाई (L-1, L-2 & L-3) पर उपलब्ध करायी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक निःशुल्क जाँचें निर्धारित की गयी हैं–
    - ए0पी0एच0सी0, उपकेन्द्र तथा वी0एच0एन0डी0 (आउटरीच) स्तर पर – हीमोग्लोबिन, यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर) की निःशुल्क जाँच।
    - L-2/L-3 स्तर की ब्लॉक स्तर की पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 जहाँ पर लैब टेक्नीशियन/लैब असिस्टेण्ट की नियुक्ति है वहाँ – हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप की निःशुल्क जाँच की सुविधा।
    - L-3 स्तर की इकाइयों पर– हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप, HbsAg, VDRL, HIV Card test (by NACO) |
- निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड– प्रदेश में जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं कि वर्तमान में जिन जिला महिला इकाइयों पर यह सुविधा उपलब्ध है उन पर प्रति गर्भवती महिला 2 अल्ट्रासाउण्ड (16–20 सप्ताह के बीच पहला एवं 32–36 सप्ताह के मध्य दूसरा) निःशुल्क उपलब्ध कराये जायें। यदि इससे अधिक अल्ट्रासाउण्ड की आवश्यकता होती है तो भी वह निःशुल्क कराया जायेगा।
- सभी जाँचों के लिये यह धनराशि पूल में रखी जाये तथा इसका उपयोग लेबोरेट्री तथा अल्ट्रासाउण्ड के रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स के क्रय हेतु किया जाये।
- वर्तमान में सभी जनपदों को **वर्ष 2012–13 के लिये अनुमोदित समस्त अवशेष धनराशि अवमुक्त** की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जनपद की समस्त प्रसव इकाइयों एवं उपकेन्द्रों तथा आउटरीच सत्रों पर कार्यभार के आधार पर आवश्यक रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स का मांग–पत्र इकाइयों के प्रभारियों से प्राप्त कर लें एवं रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर **आगामी एक वर्ष के लिये क्रय** करने की कार्यवाही कर लें।

6. रुग्ण नवजात शिशु की निःशुल्क उपचार व्यवस्थाः–

- कुल प्रसवों के 5 प्रतिशत नवजातों के रुग्ण होने की संभावना होती है अतः जनपदों पर होने वाले वर्ष 2012–13 में कुल प्रसवों के 5 प्रतिशत नवजातों के उपचार हेतु ₹ 200.00 प्रति रुग्ण नवजात की दर से निःशुल्क औषधि एंव कंज्यूमेबिल्स की व्यवस्था के क्रय हेतु **वर्ष 2012–13 के लिये अनुमोदित समस्त अवशेष धनराशि जनपदीय स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त** की जा रही है।

7. ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था–

- यह व्यवस्था प्रत्येक जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सुनिश्चित की जानी है। निर्देश दिये गये हैं कि जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर एक नोडल आफिसर नामित कर उसका सी0यू0जी0 नम्बर प्रदर्शित/प्रचारित कर दिया जाये। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक साप्ताहिक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति सप्ताह निस्तारण कर दिया जाये। जनपद मुख्यालय पर एक शिकायत पेटी भी रख दी जाय एवं माह में एक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति माह निस्तारण किया जाये। यह व्यवस्था लागू कर राज्य स्तर पर इसके अनुपालन की सूचना अवश्य प्रेषित कर दी जाये।

8. योजना का व्यापक प्रचार–प्रसारः–

- यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है तथा इसके अन्तर्गत मिलने वाली समस्त निःशुल्क सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। प्रचार–प्रसार के लिए जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई गई 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि में से योजना बनाकर जनपदीय स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
  राज्य स्तर से जे0एस0एस0के पोस्टर का प्रारूप प्रेषित किया गया है। प्रत्येक जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाइयों, सी0एम0ओ0 ऑफिस पर न्यूनतम 07 फिट ग 5 फिट के आकार के के 02–02 फ्लैक्स बैनर अथवा वॉल–पेण्टिंग करायी जायें।

- योजना के सम्बन्ध में आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा केबल ऑपरेटर के माध्यम से जन–समुदाय की जागरुकता के लिए रेडियो जिंगल्स/स्पॉट्स, वार्ता, विज्ञापन आदि प्रसारित कराये जायें।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एक्रीडिटेड उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत घर, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी वॉल राइटिंग के माध्यम से जन–सामान्य को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले निःशुल्क प्राविधानों से अवगत कराया जाय।

यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न गतिविधियों हेतु भेजे गये विस्तृत दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय तथा समस्त वित्तीय गतिविधियों में हाल में तैनात किये गये लेखाधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से बचा जाय, अन्यथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

9. पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः–
   - कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाय।
   - निविदा प्रक्रिया, वाउचर, लागबुक तथा प्रमाण पत्र मुद्रण आदि में होने वाला व्यय जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उपलब्ध 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि से नियमानुसार वहन किया जाए।
10. रिपोर्टिंगः–
   - कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किये गये जिला स्तरीय भौतिक प्रगति का रिपोर्टिंग प्रपत्र, जो संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, पर नियमित रिपोर्टिंग प्रत्येक माह की 5 तारीख तक राज्य स्तर पर निदेशक–मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण निदेशालय तथा महाप्रबन्धक–जे0एस0एस0के0 को भेजी जायें।
   - **यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्यापन, अनुश्रवण अथवा निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी प्रकार की कमी अथवा गड़बड़ी स्वास्थ्य इकाई के नोडल अधिकारी अथवा जनपदीय नोडल अधिकारी के स्तर पर उदासीनता, अकर्मण्यता, गलत मंशा अथवा नीयत के अन्तर्गत पाई जाती है या कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो सुसंगत एवं वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।**

भवदीय

12/12/12

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या :–एसपीएमयू/जे0एस0एस0के0/93/2012–13/2501-2-8 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से समस्त जनपदों को सूची के अनुसार औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स के रेट कॉन्ट्रेक्ट की दरें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से उपर्युक्त समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. डॉ0 हिमांशु भूषण, उपायुक्त, मातृ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, मु0चि0अ0 कार्यालय, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

12/12/12

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)

2012-13

Budget Summary for 2nd Release

S.N.	Name of the district	No of benificieries under JSY in the yr 2011-12	Estimated amount @ Rs 100 for Ultrasound 2nd release	Estimated amount for Diet facility for Normal delivery (Rs 100X 3 days) 2nd release	Estimated amount for Diet facility for C Section delivery (Rs 100X 7 days) 2nd release	Estimated amount @ 350 for Medicines of Normal del. 2nd release	Estimated amount @ 1600 for Medicines of C Section del. 2nd release	Estimated amount for Dropback facility @ Rs 250/- 2nd release	Estimated amount @ Rs 200 for sick new born medicines A.2.10.1 2nd release	Estimated amount @ Rs 250 for sick new born referal A.2.10.3 2nd release	Total budget calculated as per norms for 2nd Release of yr 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Agra	41051	1484560	6424246	7000	11882313	2768553	5763821	819045	1023806	**30173344**
2	Aligarh	35624	1288355	5790148	0	10495924	3331648	5260776	686941	858676	**27712468**
3	Allahabad	68414	2474267	8087419	42000	19897707	4012055	7285853	1114958	1393697	**44307956**
4	Ambedkar Nagar	25255	913308	2066690	0	7452285	281548	1803958	447392	559240	**13524421**
5	Auraiya	17530	633760	3117115	0	5203412	0	2690274	255401	319251	**12219213**
6	Azamgarh	52481	1897806	9460231	7000	15439166	961955	8240347	863079	1078849	**37948433**
7	Baghpat	12460	450577	1661038	14000	3699412	0	1433585	243071	303839	**7805522**
8	Bahraich	50349	1820540	5719693	0	14655091	1947372	5091252	649952	812440	**30696340**
9	Ballia	30900	1117327	4122705	0	9177251	0	3558164	602394	752993	**19330834**
10	Balrampur	21857	790029	2944179	0	6418730	469246	2577373	401596	501995	**14103648**
11	Banda	33633	1216298	5032219	0	9975583	70387	4348663	336425	420531	**21400106**
12	Bara Banki	51244	1853530	6836303	0	15218200	0	5900177	609440	761800	**31179450**
13	Bareilly	30977	1119931	5211560	10500	8856493	2228919	4672970	834897	1043622	**23978892**
14	Basti	41613	1504528	4594542	0	12014180	2252382	4144128	459722	574652	**25544134**
15	Bijnor	20586	744016	2707193	14000	5791469	2088146	2502324	688702	860878	**15396728**
16	Budaun	41930	1516682	4082140	0	12302863	961955	3600545	586542	733177	**23783904**
17	Bulandshahr	34025	1230188	8211250	42000	9993403	727332	7143968	653474	816843	**28818458**
18	Chandauli	28707	1038324	845464	70000	8475147	328472	729691	364607	455759	**12307464**
19	Chitrakoot	19662	711026	3176895	0	5837801	0	2741869	184946	231182	**12883719**
20	CSJM Nagar *	32161	1163340	595668	0	9547906	0	514100	493188	616485	**12930687**
21	Deoria	49030	1772791	7880323	3500	14230977	2158532	6972602	579496	724370	**34322591**
22	Etah	15348	554757	2327161	0	4547640	46925	2012178	329379	411724	**10229764**
23	Etawah	25090	907231	3087225	7000	7420209	1360814	2771351	294152	367689	**16215671**
24	Faizabad	36889	1334368	4536897	32200	10321289	4176291	4236261	461483	576854	**25675643**
25	Farrukhabad	17307	625946	1368542	22400	5117877	140774	1181141	352277	440347	**9249304**
26	Fatehpur	33145	1198934	4968169	0	9797384	305010	4311810	491427	614284	**21687018**
27	Firozabad	25202	911572	4487792	28000	7462977	140774	3884314	466767	583459	**17965655**
28	Gautam Buddha Nagar	9265	335111	1236171	0	2751393	0	1066897	311765	389707	**6091044**
29	Ghaziabad	7504	**273385**	1916428	28000	2122814	1173115	1748678	**605917**	757396	**8625733**
30	Ghazipur	56529	2044526	11669966	1400	16568948	1431201	10178819	676372	845466	**43416698**

JD MCH

डा० ...
...याण

S.N.	Name of the district	No of benificieries under JSY in the yr 2011-12	Estimated amount @ Rs 100 for Ultrasound 2nd release	Estimated amount for Diet facility for Normal delivery (Rs 100X 3 days) 2nd release	Estimated amount for Diet facility for C Section delivery (Rs 100X 7 days) 2nd release	Estimated amount @ 350 for Medicines of Normal del. 2nd release	Estimated amount @ 1600 for Medicines of C Section del. 2nd release	Estimated amount for Dropback facility @ Rs 250/- 2nd release	Estimated amount @ Rs 200 for sick new born medicines A.2.10.1 2nd release	Estimated amount @ Rs 250 for sick new born referal A.2.10.3 2nd release	Total budget calculated as per norms for 2nd Release of yr 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Gonda	35021	1266651	6584372	700	10114579	1876985	5830156	641145	801431	**27116019**
32	Gorakhpur	61641	2229445	6398626	7700	17691602	5513643	5946243	829613	1037016	**39653888**
33	Hamirpur	18804	679772	2508637	0	5584758	0	2165118	206082	257603	**11401970**
34	Hardoi	56260	2034976	10939793	56000	16355110	2299306	9620495	764442	955552	**43025674**
35	Jalaun	22546	815206	3008230	7000	6693157	0	2596299	311765	389707	**13821364**
36	Jaunpur	50923	1841376	6360196	53200	14829726	1900447	5623779	836659	1045823	**32491206**
37	Jhansi	24785	895945	785684	7000	7352493	2252382	856834	373414	466767	**12990519**
38	Jyotiba Phule Nagar	15528	561702	3411746	0	4608228	0	2944561	343470	429338	**12299045**
39	Kannauj	22701	820415	3027445	11900	6739488	0	2612883	310004	387505	**13909640**
40	Kanpur Dehat	23200	838646	3100035	0	6889176	0	2675533	334663	418329	**14256382**
41	Kanpur Nagar	36392	1316136	5826443	7000	10075375	8282195	5677216	854273	1067841	**33106479**
42	Kanshiram Nagar	18459	667618	2833159	0	5481403	0	2445201	267731	334663	**12029775**
43	Kaushambi	31821	1150317	5256395	0	9444550	23462	4538456	297674	372093	**21082947**
44	Kheri	58085	2100957	9624626	18900	16886143	2369693	8492791	750351	937938	**41181399**
45	Kushinagar	56223	2033240	6663367	0	16697252	0	5750922	665804	832255	**32642840**
46	Lalitpur	26702	965398	3889989	0	7855014	469246	3396011	227219	284024	**17086901**
47	Lucknow	45451	1643434	6398626	73500	11643526	13537753	6554319	857795	1072244	**41781197**
48	Mahamaya Nagar	19271	696267	2982609	1400	5713062	46925	2577873	292390	365488	**12676014**
49	Mahoba	13805	499194	2391212	0	4084322	93849	2071143	163809	204761	**9508290**
50	Mahrajganj	40030	1447229	5796553	0	11878749	46925	5006490	498472	623091	**25297509**
51	Mainpuri	15805	571252	2784053	0	4690199	0	2402820	345232	431540	**11225096**
52	Mathura	18486	668486	3228136	12600	5424379	422322	2819260	475574	594468	**13645225**
53	Mau	28826	1042665	394977	32200	8546427	70387	340891	412164	515206	**11354917**
54	Meerut	19807	716235	337332	31500	5869877	1830060	427496	644667	805834	**10663001**
55	Mirzapur	35371	1278805	6921703	3500	10125270	2463543	6167362	466767	583459	**28010409**
56	Moradabad	21059	761380	5358876	7000	5563375	4528226	4982536	577735	722169	**22501297**
57	Muzaffarnagar	19021	687586	6349521	0	4989574	4317065	5819100	512564	640704	**23316114**
58	Pilibhit	16493	596429	2585497	7000	4829194	445784	2266464	380460	475574	**11586402**
59	Pratapgarh	45134	1632148	4483522	12600	13154654	1618899	3980132	593587	741984	**26217526**
60	Rae Bareli	34166	1235397	6648422	7000	9665517	3143949	5983097	465006	581258	**27729646**
61	Rampur	15939	576461	2357051	7000	4515564	1431201	2146692	436824	546030	**12016823**
62	Saharanpur	27588	997520	3753348	7000	7413081	5114783	3639241	648190	810238	**22383401**
63	Sant Kabir Nagar	32352	1170285	2664493	28000	9565725	258085	2299632	320572	400715	**16707507**

JDMCH

S.N.	Name of the district	No of benificieries under JSY in the yr 2011-12	Estimated amount @ Rs 100 for Ultrasound 2nd release	Estimated amount for Diet facility for Normal delivery (Rs 100X 3 days) 2nd release	Estimated amount for Diet facility for C Section delivery (Rs 100X 7 days) 2nd release	Estimated amount @ 350 for Medicines of Normal del. 2nd release	Estimated amount @ 1600 for Medicines of C Section del. 2nd release	Estimated amount for Dropback facility @ Rs 250/- 2nd release	Estimated amount @ Rs 200 for sick new born medicines A.2.10.1 2nd release	Estimated amount @ Rs 250 for sick new born referal A.2.10.3 2nd release	Total budget calculated as per norms for 2nd Release of yr 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Sant Ravidas Nagar	28143	1017488	3465122	23800	8336152	117312	2997998	290629	363286	**16611787**
65	Shahjahanpur	28905	1045269	5179535	0	8517915	422322	4503446	561882	702353	**20932722**
66	Shrawasti	20885	755303	918054	7000	6201327	0	792341	207844	259805	**9141674**
67	Siddharthnagar	30104	1088678	2982609	18900	8817289	797719	2634995	477336	596670	**17414196**
68	Sitapur	77667	2809378	11789527	14700	22923527	915030	10245997	836659	1045823	**50581641**
69	Sonbhadra	24344	880318	1155041	0	7227754	0	996876	346993	433741	**11040723**
70	Sultanpur	32687	1181571	5655642	0	9234275	3097025	5124420	383982	479978	**25156893**
71	Unnao	35490	1283146	6962269	4200	10431773	703869	6066016	581258	726572	**26759103**
72	Varanasi	39827	1440284	3691433	14000	11454635	2487005	3381270	688702	860878	**24018207**
73	**Sambhal**	19095	690190	3396801	0	5670294	0	2931662	422733	528416	**13640096**
74	**Shamli**	7981	288230	1419782	7000	2370047	0	1225365	260685	325857	**5896966**
75	**Hapur**	3780	134652	673340	0	1045565	0	580436	**265969**	332462	**3032424**
	GRAND TOTAL	**2291515**	**83980100**	**327109200**	**818300**	**675876950**	**106260800**	**290507250**	**37295600**	**46619500**	**1568467700**

JDMCH

डा० श्यामा मूर्ति
निदेशक
मातृ एवं शिशु कल्याण